

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
 प्रकरण संख्या 353/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हटवाडा, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

नाथू लाल पुत्र श्री कानाराम

पता -मकान नम्बर 1681, संजय नगर, डी सी एम के पास, अजमेर रोड, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित - श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 11-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 06.03.2009 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री नाथूलाल के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 1681, संजय नगर, डी सी एम के पास, अजमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 63.69 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 3,64,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का नौटिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुआ है।
3. प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.06.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। धारा 13 (2) का नोटिस अप्रार्थी को जारी किये जाने की पुष्टि में डाक विभाग की रसीद की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक मकान नम्बर 1681, संजय नगर, डी सी एम के पास, अजमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 63.69 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 11-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर